प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 20 नवम्बर, 2025**

विषय:- जनपद गोरखपुर में विकास खण्ड खजनी के अन्तर्गत मिनी औद्योगिक अस्थान हरिहरपुर तहसील रोड से सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1505 नि0/153-01 नि0/2025-26, दिनांक 06.09.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में विकास खण्ड खजनी के अन्तर्गत मिनी औद्योगिक अस्थान हरिहरपुर तहसील रोड से सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य **(लम्बाई-7.850 कि0मी0)** की लागत रू0 2519.61 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त अनुमोदित लागत का 20 प्रतिशत अर्थात रू0 503.92 लाख (रूपये पॉच करोड़ तीन लाख बानबे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
5. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
6. विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर, 2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशा0 विभाग द्वारा जमा की जायेगी।
8. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
9. मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।
10. प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11. आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

12. प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

13. प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

14. प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभागाध्यक्ष का होगा।

15. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

16. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

17. सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

18. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. विभागाध्यक्ष द्वारा प्रायोजना पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 के प्रस्तर-5 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। विभागाध्यक्ष द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाये।

20. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस- 2021- 10/99 दिनाक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

21. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये. किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

22. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कन्टीजेन्सी मद में प्रावधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23. विभागाध्यक्ष द्वारा प्रायोजना पर वित्त विभाग के शासनादेश सं०-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26-08-2014 के प्रस्तर-5 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

24. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही विभागाध्यक्ष का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील/बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक / मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022. दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

25. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में यूटीलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विद्युत लाइन शिफ्टिंग लागत रू0 30.83 लाख, वन विभाग हेतु लागत रू0 3.46 लाख एवं जल निगम हेतु लागत रू0 121.13 लाख का आंकलन किया गया है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व लोक निर्माण विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से प्रस्तावित कार्यों का Verification & revalidation कराते हुये कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तद्नुसार यूटीलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी। साथ ही यूटीलिटी शिफ्टिंग करने हेतु एन०एच०ए०आई० के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यूटीलिटी शिफ्टिंग का कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटीलिटी शिफ्टिंग की पुनः आवश्यकता न हो।

26. प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में 1.6915 है0 भूमि अधिग्रहण हेतु लागत रू0 743.67 लाख का प्रावधान किया गया है। विभागाध्यक्ष द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति / अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाये।

27. प्रायोजना में प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौडाई एवं फारमेशन चौडाई इत्यादि तथा पक्के स्ट्रक्चर्स यथा-पुल पुलिया, ड्रेन इत्यादि का निर्माण IRC/ लोक निर्माण विभाग केसुसंगत मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष / कार्यदायी संस्था का होगा।

28. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में पुल/पुलियों का इक्सटेंशन तथा नाला-नाली आदि का निर्माण का प्राविधान किया गया है। भविष्य में मार्ग के चौडीकरण की सम्भावना के दृष्टिगत मार्ग के संरेखण में आने वाले पक्के स्ट्रक्चर (पुल/पुलिया/नाली इत्यादि) का निर्माण आई०आर०सी०/विभागीय मानकों में पूर्व निर्धारित फारमेशन विड्थ (चौड़ाई) के अनुसार ही कराया जाये।

29. विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

30. प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

31. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

32. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रु0 503.92 लाख (रूपये पॉच करोड़ तीन लाख बानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054033370900 औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/ निर्माण कार्य (नये कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-479-X-2025-26-दिनांक:3-11-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
11- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजना/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
14- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रिपुंजय गुप्ता
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।